निरीक्षण पैनल

(Inspection Panel)

भारत

कम आमदनी वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (P132173)

अन्वेषण योजना (18 अप्रैल, 2019)

I. परिचय

21 सितंबर, 2018 को निरीक्षण पैनल ("पैनल") को कम आमदनी वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना ("परियोजना" या "RWSSP") के निरीक्षण के लिए अनुरोध ("पहला अनुरोध") प्राप्त हुआ। पहला अनुरोध झारखंड राज्य के एक गाँव के संथाल आदिवासी समुदाय के 104 सदस्यों ("पहले अनुरोधकर्ता") ने भेजा था। प्रथम अनुरोधकर्ताओं ने गोपनीयता बरतने के लिए कहा। 9 अक्टूबर, 2018 को, उन्होंने पैनल को पहले अनुरोध का एक अनुपूरक भेजा, जिसमें कथित नुकसान के बारे में ज्यादा विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया था। प्रथम अनुरोधकर्ता RWSSP के अधीन वित्तपोषित बागबेरा बहु-ग्रामीय योजना के अंग के रूप में अपने गाँव में एक जलशोधन संयंत्र (WTP) [1] के निर्माण को लेकर चिंतित हैं। वे WTP की लोकेशन पर प्रश्न उठाते हैं तथा उनका आरोप है कि इस संयंत्र का निर्माण उनकी उस सामुदायिक भूमि पर किया गया है, जिसका उनके लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। वे पीने के पानी के प्रभार के साथ ही सामुदायिक संसाधनों तक पहुंच के नुकसान तथा इसके आर्थिक प्रभाव का दावा करते हैं। प्रथम अनुरोधकर्ता विकल्पों के विश्लेषण के अभाव के साथ ही अपर्याप्त पर्यावरणीय एवं सामाजिक मूल्यांकन, परामर्श एवं सूचना प्रकटीकरण का भी आरोप लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, वे प्रतिशोध के बारे में भी चिंता जाहिर करते हैं।

12 दिसंबर, 2018 को, इस पैनल को उसी परियोजना से संबंधित निरीक्षण का दूसरा अनुरोध ("दूसरा अनुरोध") मिला (इसके बाद से "अनुरोध" शब्द, पहले और दूसरे दोनों अनुरोधों को संदर्भित करता है)। दूसरा अनुरोध झारखंड राज्य के एक दूसरे गांव के संथाल तथा हो आदिवासी समुदाय के 130 सदस्यों ("दूसरे अनुरोधकर्ता") द्वारा भेजा गया था (इसके बाद से "अनुरोधकर्ता" पहले और दूसरे दोनों अनुरोधकर्ताओं को संदर्भित करता है), जिन्होंने गोपनीयता बरतने के लिए कहा था। वे छोटागोविंदपुर बहु-ग्रामीय योजना के अंग के रूप में RWSSP के तहत वित्तपोषित एक उन्नत भंडारण जलाशय (ESR) के निर्माण से चिंतित हैं। उनकी दलील यह है कि यह ESR सामुदायिक भूमि पर बनाया जा रहा है तथा यह उनके ऐतिहासिक और भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। उनका यह भी दावा है कि वे पानी का भुगतान करने से और गरीब हो जाएंगे जो फिलहाल नि:शुल्क है। वे पर्यावरणीय प्रभाव के साथ ही परामर्श की कमी एवं सूचनाओं के प्रकटीकरण पर भी चिंताएं जाहिर करते हैं। दूसरे अनुरोधकर्ता भी बदले की कार्रवाई का डर प्रकट करते हैं।

5 नवंबर, 2018 को इस पैनल ने पहला अनुरोध दर्ज किया तथा 11 दिसंबर, 2018 को उसे इस अनुरोध पर प्रबंधन का उत्तर मिला। 18 दिसंबर, 2018 को इस पैनल ने दूसरा अनुरोध दर्ज किया और 28 जनवरी, 2019 को उसे इस अनुरोध पर प्रबंधन का उत्तर मिला। चूंकि दोनों ही अनुरोध उसी परियोजना से संबंधित एक जैसे मुद्दों को उठाते हैं, अत: कारगरता के प्रयोजन से इस पैनल ने उन पर संयुक्त रूप से कार्यवाही करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी, 2018 को इस पैनल ने अनुशंसा की कि नुकसान एवं संबंधित गैर-अनुपालन के कथित मुद्दों पर एक जांच संचालित की जाए। पैनल की सिफारिश को बोर्ड ने 1 मार्च, 2019 को मंजूरी दे दी।

---

[1] प्रथम अनुरोध WTP से संबंधित है, चाहे प्रश्नाधीन साइट में तकनीकी रूप से दो भिन्न संरचनाएं, WTP और एक समीपवर्ती उन्नत जल भंडारण जलाशय (ESR) शामिल हों।

II. इस पैनल की अनुशंसा

इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा में लिखा है कि अनुरोधकर्ता एवं अनुरोध इस निरीक्षण पैनल को स्थापित करने वाले संकल्प तथा 1999 के स्पष्टीकरण में निर्धारित योग्यता के तकनीकी मानदंडों को पूरा करते हैं। इस पैनल ने इस परियोजना से जोड़े जाने वाले अनुरोधों में बतायी गई कथित हानि एवं इस बात पर भी विचार किया है कि ये अनुरोध, नुकसान तथा नीति के गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। अपने प्रत्युत्तरों में, प्रबंधन ने बैंक की नीति को लागू करने में कई कमियों को स्वीकार किया है।

यह प्रलेख इस पैनल की संचालन प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षित जांच योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें जांच के दौरान पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों एवं मुद्दों का सारांश तथा जांच के तरीके का संक्षिप्त विवरण शामिल है। इस रूपरेखा को, निरीक्षण पैनल की वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह जांच योजना एक सजीव प्रलेख है तथा इसे जरूरत के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।

III. जांच का दायरा: हानि और अनुपालन के मुद्दे

जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुरोधकर्ताओं ने बैंक द्वारा अपनी संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन न करने के परिणामस्वरूप, बागबेरा और छोटागोविंदपुर की बहु-ग्राम योजनाओं से नुकसान होने का आरोप लगाया है। अपनी पात्रता निरीक्षण के दौरान, इस पैनल ने अनुरोधकर्ताओं द्वारा बताए गए कई नुकसानों को देखा। यह पैनल इन नुकसानों की तथा बैंक द्वारा उसकी संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के कथित गैर-अनुपालन की जांच करेगा।

पैनल की इस जाँच में निम्नलिखित का एक विश्लेषण शामिल होगा:

A. पर्यावरणीय मूल्यांकन

a. बागबेरा एवं छोटागोविंदपुर योजनाओं के लिए EMF, EA और EMP का विकास कैसे किया गया था?
b. किन जोखिमों एवं प्रभाव की पहचान की गई थी? क्या पर्याप्त शमन उपायों के प्रस्ताव दिए गए थे? इसमें ये सम्मिलित हैं:
    i. किस तरह के जल गुणवत्ता मूल्यांकन किए गए थे?
    ii. किस तरह के जल विज्ञान अध्ययन किए गए थे?
    iii. क्या कीचड़ (sludge) मूल्यांकन और प्रबंधन अध्ययन किए गए थे?
c. योजनाओं के लिए स्थलों का चयन कैसे किया गया था?
d. हर योजना के लिए वहनीयता एवं संपोषणीयता का विश्लेषण कैसे किया गया था? यदि ऐसा है, तो परिणामों को परियोजना के डिजाइन में कैसे शामिल किया गया था?

B. सांस्कृतिक और समुदायिक संसाधनों पर प्रभाव

a. क्या छोटागोविंदपुर और बागबेरा बहु-ग्राम जल योजनाओं के लिए सामाजिक मूल्यांकन तैयार किए गए थे? यदि ऐसा है, तो किस प्रभाव की पहचान की गई थी तथा इसे कम करने के लिए किस उपाय का प्रस्ताव किया गया था? इन सामाजिक मूल्यांकनों को इन दो बहु-ग्राम जल योजनाओं के डिजाइन में कैसे डाला गया था?

b. यह परियोजना OP/BP 4.10 को स्वदेशी लोगों एवं विशेषकर इन दोनों योजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले संथाल एवं हो आदिवासी के समुदायों पर कैसे लागू होती है? क्या इसने निम्नलिखित पर विचार किया था:

   i. इन क्षेत्रों का संथाल और हो जनजाति के लिए ऐतिहासिक महत्व?
   ii. भूमियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण/संसाधनों का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व?
   iii. इन योजनाओं के विकास में धार्मिक प्रथाओं पर विचार?
   iv. जल के प्रयोग के सांस्कृतिक तत्वों पर विचार?

c. भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर OP/BP 4.11 को लागू करने का निर्धारण कैसे किया गया था? संभावित भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों तथा इन संसाधनों पर प्रभाव की जांच करने एवं पहचान करने की प्रक्रिया क्या थी? यदि प्रभाव को पहचाना गया था तो इसे कम करने के लिए कौन से उपाय शामिल किए गए थे?

C. परामर्श, प्रतिभागिता तथा सूचनाओं का प्रकटन

a. क्या छोटागोविंदपुर और बागबेरा योजनाओं (समय, भाषा और पहुंच) की EMF, EA और EMP के विकास के दौरान अपेक्षित परामर्श और प्रकटीकरण किया गया था?
b. क्या साइट के चयन एवं दो बहु-ग्राम योजनाओं को लागू करने के लिए मुक्त, पहले से ही एवं सूचित परामर्श किए गए थे?
c. इन समुदायों को किस प्रकार के शिकायत निवारण उपलब्ध थे?

D. धमकी और प्रतिशोध

a. क्या परियोजना से प्रभावित लोगों को डराने-धमकाने और उनसे प्रतिशोध लेने के उदाहरण थे? यदि हाँ, तो किस प्रकार के?
b. डराने-धमकाने और प्रतिशोध के बारे में इस बैंक को किसी सरोकार के बारे में कब जानकारी हुई? डराने-धमकाने और प्रतिशोध के आरोपों के निराकरण के लिए कौन से उपाय किए गए थे?

F. बैंक का पर्यवेक्षण

a. क्या बैंक द्वारा इस परियोजना का पर्याप्त और समयबद्ध ढंग से पर्यवेक्षण किया गया था?
b. क्या बैंक ने पर्यवेक्षण मिशन के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए समय पर और पर्याप्त तरीके से सुधारात्मक उपाय किए थे?

IV. तथ्य खोजने की कार्य-प्रणाली

इस जांच के प्रयोजनों से, यह पैनल पर्यावरण मूल्यांकन और प्रबंधन पर विशिष्ट विशेषज्ञता तथा भारत में जनजातीय एवं स्वदेशी लोगों सहित विशेषज्ञ सलाहकारों की सहायता को सूचीबद्ध करेगा।

यह जांच तीन चरणों में की जाएगी: (i) जांच की तैयारी तथा विशेषज्ञ सलाहकारों की पहचान; (ii) प्रलेखन, कर्मचारियों के साक्षात्कार तथा क्षेत्र के दौरे की समीक्षा; तथा (iii) रिपोर्ट का प्रारूपण और अंतिम रूप देना। इस जांच में अनुरोधकर्ताओं, समुदाय के दूसरे सदस्यों, बैंक कर्मचारियों, लागू करने वाली संस्थाओं, विकास के भागीदारों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत शामिल होगी। यह पैनल इस जांच को छ: महीने में समाप्त करने का हर संभव प्रयास करेगा।

बोर्ड के कार्यकारी निदेशकों द्वारा इस पैनल के निष्कर्षों पर विचार करने और प्रबंधन प्रतिक्रिया तथा कार्य

योजना पर चर्चा और अनुमोदन करने के लिए बैठक कर लेने के बाद, इस पैनल की जांच रिपोर्ट और प्रबंधन की अनुक्रिया को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।